न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्याः—14/2010

ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चन्दूरवाली जरिये व्यवस्थापक चन्दूलाल पुत्र श्री गणपत राम जाति शर्मा निवासी चन्दूरवाली वर्तमान व्यवस्थापक ग्राम सहकारी समिति लिमिटेड चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.01.2010 पत्रावली बअनवानी राज0 राज्य बनाम ग्रा0 सेवा सह0 स0 लि0 प्रकरण संख्या 97/09 में न्यायालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत।

उपस्थितः—1.श्री छगनलाल सिडाना वकील अपीलान्ट
2.राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांक'—28.04.2017

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जांच दल द्वारा दिनांक 25.6.09 को अपीलान्ट समिति चन्दूरवाली की जांच की जानी बताई गई एवं यह आरोप लगाया गया कि स्टॉक रजिस्टर बी.पी.एल., अन्तयादेय, ए.पी.एल. गेहूँ का स्टॉक शून्य पाया गया परन्तु मौके पर 3 क्विण्टल गेहूँ ज्यादा मिला एवं केरोसीन के वितरण रजिस्टर माह मई 09 में उपभोक्ताओं के बहुत कम हस्ताक्षर है इस बाबत रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिया गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत कर सही स्थिति प्रकट की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट समिति का प्राधिकार

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पत्र दिनांक 28.01.2010 को निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किए जाने के आदेश दिये जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील निम्न आधारो पर की गई है।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि दिनांक 18.06.09 को बी.पी.एल. कार्डधारी शिवकुमार, रामकुमार, मलकीत, श्रवणराम, चांदीराम, सुखपाल, रूड़ाराम, बीरबल, चिमनाराम, रावताराम आदि अपने कार्डों पर गेहूं प्राप्त करने हेतु अपीलांट के पास आये एवं दिनांक 18.06.09 को उक्त कार्डधारियों को गेहूं तौल दी गई। जब उक्त कार्डधारियों से रूपयों की मांग की तो सभी ने कहा कि श्रवणकुमार पुत्र श्री आशाराम के पास रूपये है, वो आकर देगा। जब श्रवणराम के वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा कर रूपये मांगे तो उसने अपनी जेब में रूपये संभाले तो रूपये नहीं मिले, इस पर श्रवण राम ने कहा कि रूपये गिर गये है, तब मेरे द्वारा उक्त कार्डधारियों को यह कहा गया कि वे राशि लेकर आये, तभी उन्हे गेहूं दी जावेगी। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त कार्डधारियों के नाम वितरण रजिस्टर में अंकित कर हस्ताक्षर करवा लिये थे, इसलिए स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 18.06.09 को बी.पी. एल. गेहूं का स्टॉक शून्य अंकित कर दिया गया। चूंकि उक्त कार्डधारी मजदूरी पेशा व्यक्ति है एवं राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना में कार्य करते है, इसलिए दिनांक 25. 06.09 तक उक्त कार्डधारियों के पास राशि नहीं बन सकी, इसलिए भौतिक सत्यापन्न करने पर उक्त गेहूं मौका पर पाई गई।

अपीलांट ने अपील मीमों की चरण संख्या 1 की उपचरण (ख) में वर्णित कार्डधारियों के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये एवं दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त स्थिति को स्पष्ट किया लेकिन विचारण न्यायालय ने इसे एक मनघडन्त कहानी बनाना व बाद का विचार होना प्रकट किया। विधि का प्रावधान है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर हो तो वहां मौखिक साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किए बिना ही निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

अपीलांट पर द्वितीय आरोप यह विरचित किया गया कि मिट्टी तेल के वितरण रजिस्टर में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में अपीलांट ने अपने जवाब नोटिस में यह स्पष्ट अभिकथन किया कि कई बार उपभोक्ताओं की काफी लम्बी लाईन लग जाती है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में सहबन से हस्ताक्षर/अंगुष्ठ करवाने शेष रह जाते है, जिसमें अपीलांट की कोई दुर्भावना नहीं है लेकिन विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु का मात्र यह खण्डन किया कि एक–दो हस्ताक्षर छुट सकते है।

अपीलांट कृषकों को खाद, बीज एवं अन्य कार्य जैसे कृषि यंत्र आदि उपलब्ध करवाती है एवं सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है एवं अपीलांट राशन कार्ड धारियों को मिट्टी तेल एवं गेहूं उपलब्ध करवाती है। अपीलांट एक निगमित निकाय है, जो ग्राम के आम नागरिकों को सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसलिए अपीलांट का कालाबाजारी करने का उद्देश्य नहीं होता है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलांट को दुर्भावना पूर्वक कार्य करना मानकर गलत निर्णय पारित किया है।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपीलांट समिति पूर्ण रूप से सद्भावी है एवं इस समिति में आय–व्यय, लाभ हानि का लेखा जोखा रखा जाता है एवं समिति द्वारा व्यवस्थापक को इस कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में समिति का उद्देश्य उपभोक्ताओं/राशनकार्ड धारियों को नुकसान कारित करना नहीं बल्कि लाभ पहुंचाना है।

विचारण न्यायालय द्वारा बी.पी.एल. कार्डधारियों की कोई साक्ष्य नहीं ली गई। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। विधि का यह प्रावधान है कि अगर विचारण न्यायालय को अपीलांट पर विश्वास नहीं था तो मिट्टी तेल के राशनकार्ड धारियों एवं बी.पी.एल. कार्डधारियों से जांच करनी चाही थी एवं उनके बयान लिए जाने चाहिए थे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि भीड़ के कारण हस्ताक्षर न करवाना स्वाभाविक है लेकिन साथ ही यह अंकित करना कि अपीलांट द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण प्रमाणहीन होने के कारण संतोषप्रद नहीं है लेकिन प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को किस आधार पर न माना गया, इसका कोई विवेचन निर्णय में अंकित नहीं किया गया।

न्यायालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण बअनवानी राजस्थान राज्य बनाम ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चन्दूरवाली प्रकरण संख्या 97/09 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2010 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 14/80 को पूर्ववत् बहाल फरमाया जावे एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत करवाये जाने हेतु आदेश फरमाये जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कुछ बी.पी.एल. कार्डधारियो को कार्डो पर गेहूं देते समय कार्डधारियों के नाम वितरण रजिस्टर में अंकित कर उनके हस्ताक्षर करवा लिये परन्तु कार्डधारियो द्वारा रूपये लाने का कहकर गेहूँ समिति में ही छोड गये। जांच दल द्वारा समिति का भौतिक सत्यापन करने पर उक्त गेहूं मौका पर अधिक मिला। ग्राम सेवा सहकारी समिति चन्दूरवाली पर राशनकार्डधारियो एवं उपभोक्ताओ की अधिक भीड हो जाने के कारण जल्दबाजी में सहबन से राशनकार्डधारियो के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ केरोसीन वितरण रजिस्टर में करवाने से रहे गये है। अपीलांट द्वारा कृषकों को खाद, बीज एवं सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है। राशन कार्डधारियों को मिट्टी तेल एवं गेहूं उपलब्ध करवाता है। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चन्दूरवाली एक निगमित निकाय होने के कारण आम नागरिकों को सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसलिए कालाबाजारी करने का कोई उद्देश्य नही होता है। समिति का उद्देश्य उपभोक्ताओं/राशनकार्ड धारियों को लाभ पहुंचाना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बी. पी.एल राशनकार्डधारियो का कोई साक्ष्य न लेकर जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को बहाल करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि जांच दल द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चन्दूरवाली का भौतिक सत्यापन करने पर समिति में 3 क्वि0 गेहूँ अधिक पाई गई तथा केरोसीन वितरण रजिस्टर में उभोक्ताओ के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ अंकित नही होना पाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच दल की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलांट के वकील ने दौराने बहस यह कथन किया कि कुछ बी.पी.एल. कार्डधारियो को गेहूँ देते समय वितरण रजिस्टर में कार्डधारियों के नाम वितरण रजिस्टर में अंकित कर हस्ताक्षर करवा लिये थे परन्तु कार्डधारियो द्वारा रूपये लाने का कहकर गेहूँ समिति में ही छोड गये तथा केरोसीन के वितरण के समय राशनकार्डधारियो एवं उपभोक्ताओ की अधिक भीड होने के कारण जल्दबाजी में सहबन से राशनकार्डधारियो के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ केरोसीन वितरण रजिस्टर में करवाने से रह गये है। वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन सन्तोषजनक नही होने के कारण मानने योग्य नही है। जांच दल द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति चन्दुरवाली (टिब्बी) की जांच की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच दल की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 28.04.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ